

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी नक्षत्र सिंह पुत्र इन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गांव तख्तहजारा तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा, मूल रसीद, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता श्री इन्द्र सिंह उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र सम्पूर्ण सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी गांव तख्तहजारा तहसील सादुलशहर व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 02.02.2017 को जरिये रसीद सं० 32/70 वसीयत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 09.06.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 02.02.2017 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाह बख्तावर सिंह पुत्र शेर सिंह एवं कौर सिंह पुत्र हजूर सिंह ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त श्री रूपराम मेघवाल अधिवक्ता ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/12
अथवा
Identified by me
Rooj
(अथवा)
Ref